REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2014/ज्येष्ठ 19, 1936
No. 306]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2014/JYAISTHA 19, 1936

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2014

सा.का.नि. 390(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (51) और धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 203 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में, नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**"8क. नियम 8 के अंतर्गत न आने वाली कंपनियों में कंपनी सचिवों की नियुक्ति** – नियम 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से भिन्न ऐसी कोई कंपनी जिसकी समादत शेयरपूंजी पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक है, में एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव होगा।"

[फा. सं. 1/11/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2374 GI/2014

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 9th June, 2014

**G.S.R. 390(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 203 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with clause (51) of Section 2 and Section 469 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:—

"8A. Appointment of Company Secretaries in companies not covered under rule 8.—A company other than a company covered under rule 8 which has a paid up share capital of five crore rupees or more shall have a whole-time company secretary."

[F. No. 1/11/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 249(E), dated the 31st March, 2014.